



KAWACH SAFE CHILDHOODS
FOR A THRIVING INDIA
सुरक्षित बच्चे, समृद्ध भारत

This document outlines the process, strategies, and system strengthening efforts undertaken for the activation and institutionalisation of Child Welfare and Protection Committees (CWPCs) in Balrampur district, Uttar Pradesh

from January 2024 to March 2026.

The journey reflects a transition from inactive committees to a functional, district-wide child protection system, achieved through continuous engagement, convergence, and system strengthening.

Designed and Drafted By-

Arpit Srivastava

Rural Organization for Social Advancement (ROSA)



1. About the District

Balrampur district is located in the northeastern part of Uttar Pradesh, under the Devipatan division, and shares an international border with Nepal. The district was officially formed on **25 May 1997** after being carved out of Gonda district. It is geographically surrounded by Siddharth Nagar, Shravasti, and Gonda districts.

Balrampur holds historical and cultural significance. It is closely associated with the Buddhist circuit due to its proximity to Shravasti, where Lord Gautam Buddha is believed to have performed significant spiritual events. The district is also home to **Devi Patan Temple** in Tulsipur, one of the 51 Shaktipeeths, making it an important religious site.

The total geographical area of the district is approximately **336,917 hectares**, with a large portion under agriculture (around 221,432 hectares irrigated). The northern part falls in the Tarai region near the Shivalik range of the Himalayas.

Demographic Profile

- Total Population: **21,48,665**
- Rural Population: **92%**
- Sex Ratio: **928**
- Child Population (0–6 years): **~18% (3,94,710)**
- Literacy Rate: **~49.5%**
- Female Literacy: **~38.4%**

Administrative Structure

- Blocks: **9**
- Gram Panchayats: **801**
- Villages: **1,017**

Protection Context

- High rate of **child marriage (37.2%)**, significantly above rural UP average
- High rural concentration leading to **limited access to services**
- Presence of vulnerable communities including **SC, ST (Tharu), and minority populations**

These conditions contribute to **heightened vulnerability among children**, making community-based protection mechanisms like CWPCs extremely important.

1. Situation before Intervention – 2024

- CWPCs were **inactive and non-functional**
- No meetings conducted
- No awareness among stakeholders
- No reporting or tracking mechanism
- Stakeholders at village, block, and district levels had limited or no awareness about CWPCs.
- There was no clarity on roles, responsibilities, or purpose of the committee.
- Meetings were not being conducted, and no structured discussion on child protection issues had taken place.
- Concepts such as child rights and child protection were new and surprising for many stakeholders.
- There was no coordination or system to address child protection concerns at the community level.

What We Did (Intervention Process)

Following a structured CWPC activation approach, the following steps were undertaken:

3.1 Stakeholder Mapping

- Identified key stakeholders at village, block, and district levels, including:
 - Panchayat representatives
 - Anganwadi Workers (AWWs)
 - ASHA workers
 - Teachers
 - Government officials

3.2 Multi-level Engagement

- Conducted individual and group meetings at:
 - Gram Panchayat level
 - Block level
 - District level

3.3 Community Mobilization

- Organized:
 - Parents' meetings to raise awareness on child protection
 - Children's meetings to understand issues directly from them
 - Adolescent group meetings, especially focusing on girls

3.4 Awareness and Orientation

- Introduced concepts of:
 - Child rights
 - Child protection
 - Role and importance of CWPC

3.5 Continuous Handholding and Monitoring

- Provided regular support and follow-up to stakeholders
- Ensured progress monitoring and issue-based guidance
- Supported stakeholders in understanding case identification and reporting

4. Engagement with District Administration

Special emphasis was given to building linkages with higher authorities:

- Conducting meetings with district-level officials was challenging initially
- Required multiple visits, follow-ups, and consistent efforts
- Gradually developed a strong bridge between community and administration
- Established trust and recognition of the organization at district level

5. Key Achievements (First 3 Months)

Within three months of intervention:

- Developed strong rapport with key departments, including:
 - Women and Child Development (WCD)
 - Child Welfare Committee (CWC)
 - Special Juvenile Police Unit (SJPU)
 - Anti-Human Trafficking Unit (AHTU)
- Received active support from:
 - District Magistrate (DM), Balrampur
 - Chief Development Officer (CDO), Balrampur
- Achieved a major milestone:
 - First official order issued by the District Probation officer (DPO), Balrampur
 - The order focused on:
 - Activation of CWPCs
 - Support to the organization from district to village level
 - Strengthening coordination among departments

6. Why Strengthening CWPC Was Necessary

Based on field observations, strengthening CWPCs across all 24 Gram Panchayats was critical due to the following issues:

6.1 Education-related Issues

- High school dropout rates
- Frequent bunking of school
- Irregular attendance, especially among adolescent girls

6.2 Child Protection Concerns

- Substance abuse among children
- Child labour, especially during sowing and harvesting seasons
- Child marriage cases
- Lack of supervision and parental negligence

6.3 Gender and Care Burden

- Adolescent girls often miss school to take care of younger siblings
- Parents engaged in labour work, leaving children unattended

6.4 Livelihood-linked Vulnerability

- Children engaged in agricultural labour
- Economic conditions pushing children into work instead of education

3. CWPC Activation Process (Field-Level Model)

Minimum Engagement Protocol (Per Gram Panchayat)

 **At least 3 direct field visits are required to activate CWPC**

Step-wise Field Process

◆ Visit 1: Introduction & Awareness

- Meet key stakeholders (Pradhan, AWW, ASHA, teachers)
- Introduce:
 - Child protection concepts
 - Role of CWPC
- Build initial interest and rapport

◆ Visit 2: Mobilisation & Preparation

- Community mobilisation (parents, adolescents)
- Identify CWPC members
- Prepare for first CWPC meeting

◆ Visit 3: First CWPC Meeting Facilitation

- Conduct **first CWPC meeting with full external support**
- Explain:
 - Roles & responsibilities
 - Meeting structure
 - Issue identification

4. Ownership Building Cycle (Critical Process)

After activation, CWPC strengthening follows a **4-meeting ownership model**:

CWPC Meeting	Ownership Level	Role of Project Team
1st Meeting	Initiated by external team	Full facilitation
2nd Meeting	Stakeholders start participating	Joint facilitation
3rd Meeting	Stakeholders partially lead	Support & mentoring
4th Meeting	Fully owned by stakeholders	Minimal/no intervention

Outcome:

After the 4th meeting, CWPC becomes **functionally active and locally owned**

5. Government Engagement Strategy

- Continuous follow-ups with district officials
- Strong convergence with:
 - WCD
 - ICDS
 - Police (SJPU, AHTU)
- District-level ownership built over time

Key Milestone: District order for CWPC activation

कार्यालय—जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलरामपुर।

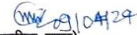
पत्रांक ७५ / जि०प्रो०का० / मिशन वात्सल्य / 202३-2४ दिनांक १ अप्रैल, 2024

श्री अर्पित श्रीवास्तव,
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट,
रोजा संस्थान, श्याम बिहार कॉलोनी,
बलरामपुर।

विषय— मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत गठित ब्लॉक एवं ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के नियमित बैठकें कराये जाने/बालश्रम, बाल विवाह तथा बाल तस्करी जैसी सामाजिक कुश्रितियों पर रोक लगाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सं०-59/रो०स०/24-25, दिनांक 11.03.2024 के द्वारा विकासखण्ड—बलरामपुर एवं विकासखण्ड—तुलसीपुर के 24 ग्राम पंचायतों में बालश्रम, बाल विवाह तथा बाल तस्करी जैसी सामाजिक कुश्रितियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में विभाग का सहयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि ग्राम व बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के निरन्तर बैठक के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सशक्त, संरक्षणात्मक प्रवेश दिलाये जाने में भी सहयोग किया जाएगा।

अतः आपके पत्र के क्रम में विकास खण्ड—बलरामपुर एवं विकास खण्ड—तुलसीपुर के आप द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुसार 24 ग्राम पंचायतों के 30 गाँवों में उक्त समिति का नियमित बैठकें कराये जाने एवं बालश्रम, बाल विवाह तथा बाल तस्करी जैसी सामाजिक कुश्रितियों पर रोक लगाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उक्त कार्य का सम्पादन 15 जून, 2024 के पश्चात् सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्यों की आख्या फोटोग्राफ सहित समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

()
(सतीश चन्द)

जिला प्रोबेशन अधिकारी,
बलरामपुर।

6. 🚀 Scale-Up Strategy (District-Wide – 801 GPs)

Component	Pilot (2024)	Scale-Up (2025–26)
Coverage	24 GPs	801 GPs
Approach	Direct engagement	Systems strengthening
Focus	Activation	Institutionalisation

7. 🔄 Strategic Shift

- From **direct implementation** → **system-led approach**
- From **pilot** → **full district coverage**
- From **external facilitation** → **government ownership**

8. 🛠️ Key System Strengthening Interventions

1. Convergence Model

- WCD + ICDS + Health + Panchayati Raj integration

2. VHND Integration

- CWPC meetings linked with VHND platform
- Ensures:
 - Regularity
 - Participation
 - Sustainability

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद बलरामपुर।
पत्रांक 4639 पं०/जि.बा.क.स.स.-विधि पत्रा०/2025-26 दिनांक 28 मार्च, 2026
समस्त ग्राम पंचायत सचिव
जनपद बलरामपुर।

विषय- मिशन वास्तव्य योजना के अन्तर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की निरन्तर बैठकों के आयोजन व आयोजित बैठकों की सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक दिनांक 29.01.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा मिशन वास्तव्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमास में निरन्तर बैठक आयोजित कराते हुए फोटोग्राफ सहित कार्यवृत्त प्राप्त किये जाने तथा जिन ग्राम पंचायतों में बैठक सम्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी सूचना प्राप्त उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मिशन वास्तव्य योजना के अन्तर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक वी.एच.एन.डी. के बैठकों के साथ निरन्तर कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्राम पंचायत में उक्त बैठकों का आयोजन न हो उनकी सूचना भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(श्रेया उपाध्यक्ष)
जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद बलरामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलरामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बलरामपुर।
- जिला प्रवेशन अधिकारी, बलरामपुर।
- श्री अर्पित श्रीवास्तव, राजा संस्थान को आवश्यक सहयोग हेतु।

जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद बलरामपुर।

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद बलरामपुर।
पत्रांक 4639 पं०/जि.बा.क.स.स.-विधि पत्रा०/2025-26 दिनांक 23.03.2026

समस्त
ग्राम विकास प्रोत्साहन अधिकारी
जनपद बलरामपुर।

विषय- मिशन वास्तव्य योजना के अन्तर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन व आयोजित बैठकों की सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

अनुसूचित विषयक कार्यालय मुख विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 13.01.2026 के बैठक कार्यवृत्त का सन्दर्भ दान करें। जिसके द्वारा जनपद में कार्यरत सभी ग्राम पंचायतों की समीक्षा हेतु मुख विकास अधिकारी महोदय जनपद बलरामपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गयी थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मिशन वास्तव्य योजना के अन्तर्गत गठित समितियों की बैठक नियमित व प्रभावी ढंग से उनकी सार पर आयोजित किये जाने हेतु उनका इंटिग्रेशन वी.एच.एन.डी. के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही अवगत हो कि आज सभी ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के सार पर सचिव गठित है तथा ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति में आयोजित बैठक के सार पर सचिव गठित है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समितियों की बैठक वी.एच.एन.डी. के साथ करने हेतु अपने सार से सभी आयोजित बैठक के निर्देशित को सार ही उक्त आयोजित बैठकों की बैठक कार्यवृत्त में फोटोग्राफ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करने सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में राजा संस्थान जनपद बलरामपुर द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

संलग्नक: चयनित।

(प्रमुख अयुक्त)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद बलरामपुर।

पुनरांक: C-314 / उपरिस्थित।
अतिरिक्त - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलरामपुर।
- जिला प्रवेशन अधिकारी, बलरामपुर।
- अर्पित श्रीवास्तव, राजा संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद बलरामपुर।

3. Panchayat Ownership

- Pradhan-led CWPC meetings
- Local governance involvement

Strengthening District-Level Ownership

- **District Child Protection Committee (DCPC)** meetings were actively utilized
- Support from:
 - **District Magistrate (DM), Balrampur**
 - **Chief Development Officer (CDO), Balrampur**
- Outcomes:
 - Regular review of CWPC progress
 - Orders issued for:
 - Conducting regular meetings
 - Strengthening VHND linkage

(3)

7. जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक जनपद के 06 विकास खण्डों, यथा—उतरौला, बलरामपुर सदर, गैण्डास बुजुर्ग, तुलसीपुर, पचपेडवा, श्रीदत्तगंज एवं गैसडी तथा समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतों के वार्डों में करायी जा चुकी है एवं शेष विकास खण्डों यथा—हरैया सतघरवा एवं रेहरा बाजार में बैठक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की 615 ग्राम पंचायतों में बैठक करायी गयी है। तत्क्रम में महोदय द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक त्रैमास की बैठकें नियमित रूप से करायी जाये जिसकी सूचना व कार्यवृत्ति जिला प्रोवेशन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये। तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में संबंधित बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित होने अथवा न होने की स्थिति की सतत निगरानी की जाए। बैठक के उपरान्त उसकी कार्यवृत्ति तथा फोटोग्राफ्स सहित आख्या तत्काल जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए।

(कार्यवाही— जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी तथा समस्त अधिशाषी अधिकारी, बलरामपुर।)

10. अंतर्विभागीय समन्वय एवं बैठक प्रबंधन (Integration with VHND):—

ग्राम स्तर पर प्रधानों और समितियों की सक्रियता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग की बैठकों को “वीएचएनडी” (VHND) सत्रों के साथ लिंक किया जाएगा। बूक स्वारथ्य सत्रों में आशा, आंगनवाड़ी और ग्राम प्रधान स्वतः उपस्थित रहते हैं, अतः उसी मंच का उपयोग स्कूल छोड़ चुके बच्चों की समीक्षा हेतु किया जाएगा। अलग से बैठक बुलाने के बजाय इस एकीकृत मॉडल से समय की बचत होगी और वास्तविक कार्य हो सकेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मिशन वात्सल्य और शिक्षा समितियों की बैठकें नियमित और प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—जिला कार्यक्रम अधिकारी, बलरामपुर/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर)

(हिमांशु गुप्ता)
मुख्य विकास अधिकारी,
बलरामपुर।

8.5 Key System Strengthening Achievements

Indicator	Before Intervention (2024)	After Scale-Up (2025–26)
CWPC Coverage	24 GPs	801 GPs (District-wide)
Meeting Frequency	Irregular / Not conducted	Quarterly meetings institutionalized
VHND Linkage	Not linked	Fully integrated with CWPC
Department Convergence	Minimal	Multi-department convergence established
Panchayati Raj Role	Limited	Active leadership by Pradhans
Data Flow System	Not available	KAWACH-based structured system
Monitoring	Weak	Regular tracking through DCPC & departments

10. System Strengthening Journey (3-Year Model)

Year 1 (2024)  → Activation (Pilot + Initial Learning)

Year 2 (2025)  → Scale-Up (801 GPs + Convergence)

Year 3 (2026)  → Full System Integration & Ownership

11. Timeline (Aligned to 3-Year Integration)

Stage	Time Required
District order	2–3 months
First CWPC meetings	3–6 months
Regular meetings	6–9 months
Ownership building (4 meetings cycle)	6–12 months
Functional CWPCs	~1 year
Full system integration	~3 years

12. Key Process Learnings

- CWPC activation requires **minimum 3 structured field visits per GP**
- Ownership develops through **repeated engagement (at least 4 meetings)**
- Government orders alone are not enough
- Convergence must be actively facilitated
- Data systems take time (2–3 years)
- Sustainability depends on **local ownership + system integration**

13. 📊 Data & Reporting Progress

- 45–48% CWPC meetings are being reported
- Reflects:
 - Growing accountability
 - System strengthening

. Data System – KAWACH Model

- GP → Block → District data flow
- Used for monitoring & decision-making



प्रेषक,
जिला प्रोबेशन अधिकारी,
बलरामपुर।

सेवा में,

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
3. समस्त ग्राम प्रधान द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।
4. समस्त आगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर।
5. समस्त पंचायत सचिव द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।

पत्रांक- 9043/जि0प्रोका/बा0रा0/कवच/2025-26 दिनांक- 20/03/2026

विषय- मिशन वास्तव्य योजना के अर्न्तगत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को सशक्त रूप से आयोजित करने हेतु कवच मॉडल का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 29.01.2026 के बैठक की कार्यवृत्त में मिशन वास्तव्य योजना के अर्न्तगत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा ब्लाक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की भित्तर बैठकें आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही इन समितियों के माध्यम से बाल संरक्षण को जनपद में सशक्त बनाने के लिए कवच मॉडल विकसित किया गया है जो सौक्यम आधारित है ताकि जनपद में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, जैसे मामलों की पहचान व सौक्यम हो सके।

अस्तु पत्र आप सभी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त समितियों की भित्तर बैठकें आयोजित करने के साथ ही कवच मॉडल के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को सक्षम माध्यम से रिपोर्टिंग करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(सुशील कुमार सिंह)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
बलरामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बलरामपुर।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री अर्पित श्रीवास्तव, सौनियर कार्यक्रम समन्वयक रोजा संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में।

जिला प्रोबेशन अधिकारी

Final Conclusion

The CWPC model shows that a strong child protection system requires a structured, phased, and time-bound approach—not one-time efforts. It focuses on building systems, capacities, and accountability at every level to ensure long-term sustainability.

The 3-visit activation model and 4-meeting ownership cycle are central to this approach. They help build awareness, trust, and gradually transfer responsibility to local stakeholders, enabling CWPCs to function independently.

Government convergence and VHND integration strengthen institutionalization by improving coordination, ensuring regular engagement, and embedding the system within existing structures.

Finally, local ownership and data-driven systems like KAWACH make the model scalable and effective by ensuring accountability, better monitoring, and sustainable impact across the district.